

कायालय अधिशासा अभियन्ता, निमाण खण्ड उ0प्र0 जल निगम, लखीमपुर खीरी

पत्रांक : 559 / M-17 158 दिनांक : 1 / 03 / 2019

ई0 निविदा प्रकाशन सूचना

उत्तर प्रदेश जल निगम की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत शिरोपरि जलाशय, वितरण प्रणाली, राइजिंगमेन, पम्पहाउस, बाउण्ड्रीवाल, स्टाफ क्वार्टर, सी.सी. रोड एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराने हेतु विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से आनलाइन निविदा <https://etender.up.nic.in> के माध्यम से दिनांक 06/04/2019 की अपरान्ह 03.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाओं को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, लखीमपुर खीरी में दिनांक 08/04/2019 की अपरान्ह 03:00 बजे निविदादाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी निविदा प्रपत्र दिनांक 01/03/2019 से दिनांक 06/04/2019 के मध्य वेबसाइट <https://etender.up.nic.in> से डाउनलोड एवं अपलोड किये जा सकते हैं। निविदा के सम्बन्ध में अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	घरोहर धनराशि (रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5
1	विकास खण्ड - निघासन में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगानगर फेस-2 (जोन-3) पाइप पेयजल योजना में 50 कि. ली./14मी0 स्टेजिंग का शिरोपरि जलाशय, 13705.00 मीटर एच.डी. पी.ई. पाइप की वितरण प्रणाली, राइजिंगमेन, पम्पहाउस, बाउण्ड्रीवाल, स्टाफ क्वार्टर एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य। (वितरण प्रणाली एवं राइजिंगमेन की सामग्री विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी)	75,000.00	5000.00 + 12%GST	12 माह
2	विकास खण्ड - पलिया में बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत ध्यानपुर (बन्दरभरारी) पाइप पेयजल योजना में 150 कि.ली./16.00मी0 स्टेजिंग का शिरोपरि जलाशय, 8737.00 मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप की वितरण प्रणाली, राइजिंगमेन, पम्पहाउस, बाउण्ड्रीवाल, स्टाफ क्वार्टर एवं तत्सम्बन्धी निर्माण कार्य। (वितरण प्रणाली एवं राइजिंगमेन की सामग्री विभाग द्वारा निर्गत की जायेगी)	1,85,000.00	10000.00 + 12%GST	12 माह

नोट :- क्रमांक 1 एवं 2 पर अंकित योजनाओं हेतु "ए" श्रेणी रिजर्ववायर में पंजीकृत अथवा "बी" श्रेणी में शिरोपरि जलाशय में पंजीकृत ठेकेदार निविदा में प्रतिभाग कर सकते हैं।

निविदायें ऑनलाइन ही स्वीकार की जायेगी जिसके लिये निविदादाता को ई0-निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। समस्त अभिलेखों की स्कैण्ड प्रति वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

शर्तें :-

- निविदा प्रपत्र का मूल्य (Non Refundable) तथा घरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उत्तर प्रदेश जल निगम, लखीमपुर-खीरी के नाम बैंक में जमा करना होगा।
बैंक का नाम - पंजाब नेशनल बैंक, अस्पताल रोड, लखीमपुर खीरी
खाता संख्या - 1874000100169421
आई0एफ0एस0सी0 कोड - PUNB0187400
- नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति।
न0-2 - हस्ताक्षर युक्त निविदा प्रपत्र (अपलोड किये गये शिड्यूल-जी की कापी संलग्न नहीं करनी है)
- निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्य स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करना होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
- निविदादाता / बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी / ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने / बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।


5. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो वह निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेगा ।
6. बिना कोई कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।
7. कार्य की सीमा किसी भी स्तर तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।
8. नियमानुसार जो भी जी०एस०टी० एवं लेबर वेलफेयर सेस अथवा अन्य कोई कर या चुंगी आदि देय होगी ठेकेदार को देना होगा । विभाग इसके लिये अलग से भुगतान नहीं करेगा ।
9. निविदा स्वीकृत हो जाने पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सिक्धोरिटी मनी के रूप में कार्य लागत की 10% धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ०डी०आर० / सी०डी०आर० एवं एन०एस०सी० के रूप में 15 दिन के अन्दर जमा करनी होगी जिसमें धरोहर धनराशि को सम्मिलित माना जायेगा । अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा कोई पुनर्विचार नहीं किया जायेगा ।
10. निविदा स्वीकृत हो जाने पर एवं कार्य प्रारम्भ की तिथि प्रदान किये जाने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर फर्म को कार्य प्रारम्भ किया जाना होगा अन्यथा अर्नेस्ट मनी जफ्त कर ली जायेगी ।
11. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा ।
12. निविदा तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में निविदा अगले कार्य दिवस में प्राप्त एवं खोली जायेगी ।
13. अनुबन्ध गठन से पूर्व श्रमिक पंजीयन कराना होगा ।
14. निविदादाताओं द्वारा डाली गई कम दरों की निविदा को स्वीकार करते समय अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्धोरिटी शासनादेश सं० 622/23-12-2012-02/03 टी.सी. दिनांक 08.06.2012 अथवा शासनादेश संख्या 01 / 2018 / 3070 / 18-2-2018 दिनांक 03.01.2018 के अनुरूप नियमानुसार ली जायेगी
क - 10 प्रतिशत तक बिलो दर पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ।
ख - 10 प्रतिशत से अधिक बिलो दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर ।
15. समस्त विवरण <https://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है ।
16. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे ।

(आर०बी० श्रीवास्तव)
अधिशारी अभियन्ता

पृ० सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (ल०क्ष०), उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल, उ०प्र० जल निगम लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी ।
4. जनसम्पर्क अधिकारी, उ०प्र० जल निगम लखनऊ को 5 प्रतियों में सी.डी. सहित इस अनुरोध से प्रेषित कि इनका प्रकाशन इस क्षेत्र के दो समाचार पत्रों में करवाने का कष्ट करें ।
5. अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड / इकाई, उ०प्र० जल निगम, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव ।
6. मो० इमरान, सहायक अभियन्ता को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निविदा प्रपत्र तैयार कर निर्धारित तिथि तक वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।
7. खण्डीय लेखाकर / जूनियर इन्जीनियर (तक०) ।
8. कार्यालय के सूचना पट हेतु ।


अधिशारी अभियन्ता